123/2021/I/110884/2021-71-2099/784/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 अक्टूबर, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ हेतु गैर वेतन मद के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ के पत्रांक-1936/वित्त एवं लेखा/21 दिनांक 03.09.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 18000.00 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नानुसार कुल रू0 9000.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	47/2021/71-2-21-02/2018 टी0सी0-1 दिनांक 08.04.2021	3000.00
2	63/2021/I/70690/2021-71-2099/784/2021 दिनांक 15.06.2021	3000.00
3	85/2021/I/88255/2021-71-2099/784/2021 दिनांक 12.08.2021	3000.00
	योग	9000.00

3- उक्त के क्रम में सम्यक विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0 हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के मानक मद '20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' में प्राविधानित धनराशि रू0 18000.00 लाख के सापेक्ष चतुर्थ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किश्त की धनराशि रू0 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़ मात्र) अवमुक्त करते हुए निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- संस्था प्रमुख एवं संबंधित वित्त अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231 /2021, दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

7- कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा मानक मद 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से कराये जाने वाले कार्यों/व्यय की मदों की प्राथमिकता निर्धारित करेंगे और सर्वप्रथम आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध मानव संसाधन के मानदेय/पारिश्रमिक की मदों हेतु धनराशि का आहरण करेंगे।

8- उक्त के पश्चात् व्यय की अन्य मदों यथा विद्युत, जलकर, भवन कर, औषधि, टेलीफोन आदि के व्यय जैसे महत्वपूर्ण मदों के लिए आहरण करेंगे।

9- विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद से होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में विगत 03 वर्षों का विवरण विशेषकर आउटसोर्स आफ सर्विसेज के माध्यम से उपलब्ध मानव संसाधन का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

10- अतएव अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण के साथ ही प्रश्नगत मद में आगामी किश्त के प्रस्ताव के साथ बिन्दु संख्या-9 पर अपेक्षित सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जाय, जिससे आगामी किश्त की स्वीकृति पर विचार किया जा सके।

4- धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- प्रश्नगत अवमुक्त धनराशि रू0 3000.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक ''2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एलोपैथी, 03-शिक्षा, 0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश 20-सहायता अनुदान-समान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1623/दस-2021-2022, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- उपरोक्तानुसार-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।